

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक ९ / दो-11-3 / 2021-22

भोपाल, दिनांक ०८ / 01 / 2022

मध्यप्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराये जाने हेतु माननीय रजिस्ट्री द्वारा न्यायिक जिला स्थापना भोपाल में साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक 06.01.2022, 14.12.2022, 15.01.2022 एवं 16.01.2022 में आयोजित करने हेतु तारीख नियत की गयी है तथा रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में दिनांक 06.01.2022 को 2500 अभ्यर्थियों का सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त परिपत्र क्रमांक ए/136/2022 जबलपुर, दिनांक 07.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड-19 के डेल्टा वैरिएंट एवं ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की स्थापनाओं पर जिला एवं जिले की तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में सहभागिता करने वाले न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, अभियोजन अधिकारीगण, शासकीय सेवकों एवं पक्षकारों की उक्त संक्रमण से सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सौंपा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आकस्मिकता निधि प्रभारित कर्मचारियों की सीधी भर्ती के साक्षात्कार के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए संक्रमण से जिला न्यायालय में प्रतिदिन सहभागिताकर्ताओं में संक्रमण बढ़ने की संभावना है।

अतः वर्तमान कोविड-19 के डेल्टा एवं ओमीक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आगामी दिनांक 14.01.2022, 15.01.2022 एवं 16.01.2022 को आयोजित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।

54  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक : 188 / 2022


भोपाल, दिनांक - ०८ / 01 / 2022

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि माननीय महोदय के माध्यम से रजिस्ट्री को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 14.01.2022 से 16.01.2022 तक साक्षात्कार हेतु शेष रहे अभ्यर्थियों को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलम्ब प्रेषित की जावे।
3. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एवं जिला

न्यायालय, भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण को ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की जावे।

4. प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर अनुभाग/कोर्ट मैनेजर भोपाल,
5. समस्त साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य न्यायिक अधिकारीगण एवं संबंधित जॉचदल के शासकीय सेवक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर, जिला भोपाल म0प्र0,
7. पुलिस आयुक्त, जिला भोपाल म0प्र0,
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल म0प्र0,
9. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला न्यायालय, भोपाल म0प्र0,
10. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ/कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय भोपाल म0प्र0,
11. जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल की ओर आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल(म0प्र0)